न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 54 / 2021

1 गुगनराम पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी कासनी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू हॉल निवासी वार्ड नम्बर 10 रविन्द्र पब्लिक स्कूल के पास किसान कॉलोनी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजकुमार पुत्र शेरसिंह।
2 बिरमा देवी पत्नी शेरसिंह।
3 महिपाल पुत्र घड़सी।
4 रामदेव पुत्र घड़सी।
5 सिंगराम पुत्र घड़सी।
6 मातुराम पुत्र घड़सी समस्त जाति जाट निवासीगण कासनी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
7 कैलाश देवी पत्नी दलीप जाति धाणक।
8 चन्द्रभान पुत्र भूराराम जाति जाट।
9 दयाकोर पत्नी सुरजभान जाति धाणक।
10 दलीप पुत्र भूराराम जाति जाट।
11 रजवण पुत्री भूराराम जाति जाट।
12 राजबाला पुत्री भूराराम जाति जाट।
13 लिछमा तथाकथित पुत्री भूराराम जाति जाट।
14 सुमेर सिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासीगण कासनी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

15 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
16 आई.सी.आई.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
17 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
18 तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़
जिला झुंझुनू दावा उनवानी राजकुमार वगैरह बनाम गुगनराम
दावा बाबत विभाजन मुकदमा नम्बर 50/2019 निर्णय व
अन्तिम डिक्री दिनांक 01.07.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल महला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री कंचन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25-1-23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अदालत मातहत के यहां आराजी हाल खं. नं. 215, हाल खं.नं. 214, हाल खं.नं. 345, हाल खं. नं. 210, हाल खं.न. 361 सरहद मौजा कासनी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू के बाबत विभाजन का दावा किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा को अदालत मातहत ने दिनांक 11.02.2020 को निर्णित कर प्राथमिक रूप से डिक्री किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त दावे को दिनांक 01.07.2021 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री जारी की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट का मूल निवास झुन्झुनू में है। विचारण न्यायालय में जारी नोटिस पर गांव का पता अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश भी पारित नहीं किये गये है। पक्षकारों के मध्य हिस्से को लेकर विवाद नहीं है। इसलिए प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की गई है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने आरबीजे 2017 पेज 299 में अभिनिर्धारित किया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व तहसीलदार पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करेगा तत्पश्चात तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करेगा। इस न्यायिक दृष्टांत में यह प्रावधान आज्ञापक नियत किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा इन आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। सभी सहखातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। सभी सहखातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अपीलांट का मूल निवास झुन्झुनू में है। विचारण न्यायालय में जारी नोटिस पर गांव का पता अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश भी पारित नहीं किये गये है। पक्षकारों के मध्य हिस्से को लेकर विवाद नहीं है। इसलिए प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की गई है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने आरबीजे 2017 पेज 299 में अभिनिर्धारित किया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व तहसीलदार पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करेगा तत्पश्चात तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करेगा। इस न्यायिक दृष्टांत में यह प्रावधान आज्ञापक नियत किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा इन आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उभयपक्ष की आपत्तियों का सम्यक निस्तारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 25-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर